Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड जरिये डायरेक्टर बहादुर सिंह आदि

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ व अन्य

किस्म मुकदमाः–अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण सं.–99/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हए
23.11.2022	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फेरीकेन हाजिर। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट को दिलाई जाकर प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के निर्णय हेतु उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की जा चुकी है। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश हुई है जिसमें मौका स्थिति रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। इसलिए प्रकरण में हम मौका स्थिति रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट श्री लेखराज देरासरी ने कथन किया कि रेस्पॉडेन्ट सं. 2 द्वारा धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना–पत्र के जबाब में उल्लेखित किया गया है कि, लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 का दिनांक 11/09/2017 को विघटन (Strike off) हो चुका है, नियमानुसार स्ट्राइक ऑफ कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह अपील स्ट्राइक ऑफ हुई कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा पेश की गई है, जो हित विहीन पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में निवेदन है कि कम्पनी एक्ट 1956 के अध्याय 18 में कम्पनियों के रजिस्टर से कम्पनियों के नाम हटाए जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। इसी अध्याय की धारा 248 की उपधारा 4 में वर्णित किया गया है कि उपधारा 1 या 2 के अधीन जारी की गई सूचना जनसाधारण की जानकारी के लिए विहित रीति में और राजपत्र मे प्रकाशित भी की जाएगी। उपधारा 5 के अनुसार सूचना में उल्लिखित समय की समाप्ति पर रजिस्ट्रार, जब तक कम्पनी द्वारा प्रतिकूल कारण न दर्शित किया जाए, कम्पनीयों के रजिस्टर से उसका नाम काट देगा और राजपत्र में उसकी सूचना प्रकाशित करेगा। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने पर कम्पनी विघटीत हो जाएगी। रेस्पॉडेन्टस द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट जाहिर हो, कि कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 का विघटन (Strike off) हो चुका है। यदि कम्पनी का विघटन (Strike off) हो चुका हो तो भी कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 250 में यह प्रावधान किया गया है कि "जहॉ कोई कम्पनी धारा 248 के अधीन विघटीत हो गई है, वहॉ वह उस धारा की उपधारा 5 के अधीन सूचना मे उल्लेखित तारीख से ही कम्पनी के रूप में कार्य नहीं करेगी और उसे जारी किए गए निगमन प्रमाण–पत्र को, कम्पनी को शोध्य रकमों की वसूली के प्रयोजन और कम्पनी के दायित्वों या बाध्यताओं के संदाय या निर्वहन के सिवाय उस तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।" अर्थात कम्पनी के कार्य बन्द समझे जावेंगे परन्तु कम्पनी की सम्पति संबंधी बाध्यताओं के संबंध में कम्पनी को चालू ही समझा जावेगा। रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत किये गये उक्त कम्पनी के विवरण का अवलोकन करने से भी यही साबित होता है कि उक्त कम्पनी मुख्यतः निर्माण संबंधी कार्य करती है। कम्पनी द्वारा अपने कार्य बन्द कर दिये गये है ना कि कम्पनी बन्द हुई है। रेस्पॉडेन्ट सं. 2 का ये कथन भी बिल्कुल असत्य व वास्तविकता से परे है, कि कम्पनी केवल पेपरों में तैयार हुई थी तथा कम्पनी का किसी से कोई लेन–देन नहीं हुआ। जबकि कम्पनी के लेन–देन के सम्बन्ध में ओरियन्टल बैंक ऑफ [illegible] हनुमानगढ़ में कम्पनी के नाम से खाता सं. 01131011001027 का स्टेटमेंट पत्रावली [illegible] उपलबध है, जिसमें कम्पनी द्वारा किए गए लेन–देन का पूर्ण ब्यौरा अंकित है। इससे [illegible] कम्पनी का समापन ही नहीं हुआ है तो अपीलान्ट कम्पनी ने अपने हितों की [illegible] के लिए कम्पनी की ओर से अपील लाने का पूर्णत कानूनन रूप से अधिकारी है। रेस्पॉडेन्ट संख्या 2 द्वारा लिखित बहस में अंकित यह कथन [illegible]तः असत्य है रोही कस्बा सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 162/158 के खं. नं. 330, 322/2, 322/5, 325/1, 325/2, की कुल 12.204 हे. में से 1.434 हे. में से 0.97866 हे. व रोही कस्बा सूरतगढ के ख.नं. 325/2 (इन्द्रा सर्किल से मानकसर चौराहे के मध्य) में स्थित 40 गुणा	

अपर जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (जिला श्रीगंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:23:26 IST
Reason: SelfAttested

30 कुल 1200 वर्ग फुट में से 900 वर्ग फुट का व्यवसायिक भूखण्ड सरोज देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार अरोडा से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा राशी 15,50,000/– रू में क्रय की गई थी, जिसमें अपीलान्ट ने कम्पनी में अपने अंश–दान 22 फीसदी के हिसाब से 3,41,000/– रू का भुगतान किया था। उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में विक्रेता सरोज देवी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद सं. 125/2010 बअनवान श्रीमती सरोज देवी बनाम रामनाथ आदि प्रस्तुत किया हुआ था। उक्त भूमि क्रय करने के पश्चात कम्पनी की ओर से कम्पनी के अधिकृत एम.डी. कमलदीप द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 03/11/2011 को एक प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जिस पर न्यायालय ने कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 को जरिये एम.डी. कमलदीप पुत्र गुरमेल सिंह बतौर प्रतिवादी सं. 50 संयोजित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05/03/2012 को रेस्पॉडेन्ट सं. 2 द्वारा उक्त अनवानी वाद में कम्पनी की ओर से जबाब दावा मय प्रति दावा प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 29/04/2016 को सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा कमलदीप सिंह पुत्र गूरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी. लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के पक्ष में डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री को आधार बनाकर रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर व रेस्पॉडेन्ट सं. 1 से मिलीभगत कर उक्त रकबा का इन्तकाल लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के नाम से दर्ज न करवाकर उक्त रकबा का इंतकाल सं. 690 दिनांक 19/08/2016 अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जो कि गलत, विधि–विरूद्ध, व अनुचित है तथा बैयनामा दिनांक 03/06/2011 एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेशों के प्रतिकूल है। उक्त नामांतरण से कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के हितो को नुकसान हुआ है, तथा प्रार्थी (अपीलान्ट) कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 का डायरेक्टर होने के नाते हितबद्ध पक्षकार है, तथा अपील पेश करने का पूर्णतः कानूनन अधिकारी है। रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने दिनांक 07/03/2017 को सरोज देवी पत्नी प्रवीण कुमार से इन्ही खसरा जात में 0.126 हे. भूमि अपने स्वयं के नाम से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की और इस बैयनामा की आड में कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा दिनांक 03/06/2011 को दो टुकडो में क्रय की गई भूमि को रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने अपने स्वयं के नाम से बैयनामा की आड में तमाम भूमि रेस्पॉडेन्ट सं. 1 से मिलकर अपने नाम (कमलदीप सिंह) करवा ली। इस सम्बंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में कमलदीप सिंह द्वारा दिनांक 17/05/2017 को संशोधित डिक्री हेतू प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। दिनांक 08/06/2017 को एस.डी.ओ सूरतगढ़ ने संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी फरमाते हुए जमाबन्दी संवत 2064–67 के सयुंक्त खाता सं. 162/158 की 12.204 हे. बारानी खातेदारी रकबा में से प्रतिवादी सं. 50 के नाम 1.112 हे. रकबा का खाता विभाजन कर खसरा नं. 325/2 का 1.112 हे.रकबा से तरमीम खसरा नं. 811/325 का 1.112 रकबा प्रतिवादी नं. 50 कमलदीप सिंह पुत्र गूरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी. लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया। उक्त डिक्री के अनुसरण में रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने कतई गलत व विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर व रेस्पॉडेन्ट सं.1 से मिलिभगत कर इन्तकाल सं. 762 दिनांक 30/06/2017 अपीलान्ट कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के नाम न करवा कर अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार नामांतरण सं. 690 दिनांक 19/08/2016 व नामांतरण सं. 762 दिनांक 30/06/2017 दोनो ही विधि विरूद्ध तरीके से रिकार्ड के विपरित तथा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा जारी डिक्री में पारित आदेश के विपरीत दर्ज हुए है, जिससे अपीलान्ट कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हैं। प्रार्थी (अपीलान्ट) कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 का डायरेक्टर होने के नाते हितबद्ध पक्षकार है, तथा अपील पेश करने का पूर्णतः कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार फरमाते हुए अपील का निर्णय मेरिट के आधार पर किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री शिशपाल शर्मा ने लिखित बह[illegible]थ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि बहस प्रार्थना पत्र पर धारा 96 सी[illegible] के [illegible] में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने आप को [illegible]प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी – 1 चित्रकूट सैक्टर न. 1 वैशाली [illegible] जयपुर जरिये डायरेक्टर यह अपील पेश की है जबकि कम्पनी दिनांक 11.09.2017 को ही Strike off हो चुकी है। जब कम्पनी समाप्त हो गई है तो इस कम्पनी का कोई ना [illegible]डायरेक्टर रहता व ना कोई मैनेजिंग डायरेक्टर रहता। अपीलांट बहादुर सिंह को अपील पेश करने का अधिकार नही है इसलिये अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है। जैर अपील इन्तकाल में वर्णित रकबा सपरिवर्तन होकर नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम गैरमुमकिन दर्ज हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:23:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

है, रकबा कृषि भूमि ही नही बचा इसलिये भी जब अपील की विवादित भूमि ही कृषि भूमि नही है तो इस रकबा की अपीलाट को अपील पेश करने का अधिकार ही नही बचता है तथा जब तक संपरिवर्तन आदेश बहाल रहता है जब तक अपीलाट को अपील पेश करने का अधिकार नही है। श्रीमान सहायक कलक्टर सूरतगढ़ ने दावा सख्या 125/2010 द्वारा ही जैर प्रकरण भूमि का कमलदीप सिह को खातेदार घोषित किया। तथा इस दावा के विरूद्व अपील भी निरस्त हो चुकी है। इसलिये भी अपील पेश करने का अधिकार अपीलांटको नही है। अपील में वर्णित रकबा की प्रतिफल राशि लक्ष्य प्राईम इण्डिया द्वारा नही चुकाई गई इसकी प्रतिफल की तमाम राशि कमलदीप सिह पुत्र गुरमेल सिह जटसिख द्वारा ही सरोज देवी को भुगतान की गई थी इस कम्पनी में कोई भी कार्य नही किया। कम्पनी ने ना तो कोई व्यापार किया व ना ही कोई सम्पति खरीदी कम्पनी और ना ही किसी से कोई लेन– देन किया, इसी वजह से ही कम्पनी का समापन किया गया था। चूंकि जब कम्पनी का समापन/विघटन हो गया है तो बहादुरसिह को कम्पनी के मनेजिग डारेक्टर के आधार पर अपील पेश करने का अधिकार नही है। इसलिये अपीलांट के कोई भी हित प्रभावित नही हुये अपीलांट प्रभावित पक्षकार नही है लक्ष्य प्राईम इण्डिया कम्पनी ही समाप्त हो चुकी है तथा अपील में वर्णित रकबा भी कृषि भूमि नही रहा इसलिये अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। कानूनी नजीर सी जे (सी आई वी) राज. 2022 (1) पेज न. 262, डी एन जे 1997 पेज न. 747, आर बी जे 2002 (1) पेज न. 592, आर आर टी 2020 (1) पेज न. 205 की ओर ध्यान दिलाया ।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 3, 5, 6 व 7 श्री कमलदत्त शर्मा ने दौराने बहस कथन किया कि वर्तमान में कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अतः अपीलांट प्रकरण में हितबद्व पक्षकार नहीं रहे है। अपीलांट यह अपील पेश करने के कानूनन हकदार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 4 ने दौराने बहस कथन कि अपीलांट की बहस ही हमारी बहस है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर उभय पक्ष की पर मनन किया गया तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड के संविधान के अवलोकन से पाया कि अपीलांट बहादुर सिंह पुत्र प्रभातीलाल उक्त कम्पनी में डायरेक्टर है। रेस्पोडेंटगण द्वारा बहादुर सिंह के उक्त कम्पनी में डायरेक्टर होने संबंधी कोई आपत्ति दौराने बहस/लिखित में पेश नहीं की तथा ना ही कोई प्रति शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांट बहादुर सिंह द्वारा हस्तगत अपील डायरेक्टर की हैसियत से पेश की है, जो प्रकरण में हितबद्व पक्षकार साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। जिसका रेस्पोडेंटगण द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब तथा कोई प्रति शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। अतः प्रकरण का निस्तारण हम गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में कोई कानूनी बिन्दु शेष नहीं है। उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 96 सीपीसी पर प्रस्तुत की गई लिखित बहस के बिन्दु प्रकरण के गुणावगुण पर भी लागू होते है। अतः प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करना भी उचित समझते है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अलवोकन किया गया जिससे पाया कि लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा जरिये एम.डी. कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह (हस्तगत अपील के रेस्पापेडेंट संख्या 02) द्वारा दिनांक 03.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सरोज देवी पत्नी प्रवीण कुमार जाति अरोडा निवासी सूरतगढ़ से रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी संवत 2060 ता 2063 संयुक्त खाता नया 162 पुराना 158 के खसरा न. 330, 322/2, 322/5, 325 325/2 की कुल 12.204 है0 अर्थात सरोज देवी की 1.434 है0 [illegible] तथा उसी दिन रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 325/2 (इन्द्रा सर्किल [illegible]सर चौराहे के मध्य) में स्थित 40 गुणा 30 कुल 1200 में से 900 वर्गफुट (0.00[illegible]) [illegible] भूखण्ड़ क्रय किया। तत्पश्चात कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह ने [illegible] को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से सरोज देवी पत्नी प्रवीण कुमार से उसकी रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 88 नया 70 पुराना के खसरा न. 325 में 5.8920 है0 बारानी, खसरा न. 330 में 5.8060 है0 बारानी, खसरा न. 574/322 में 0.025 है0 बारानी, खसरा न. 576/322 में 0.101 है0 बारानी, खसरा न. 747/325 में 0.3800 है0 बारानी कुल 12.2040 है0 में से 0.126 है0 बारानी भूमि क्रय कर ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:23:26 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला कलक्टर
[illegible] (श्री गंगानगर)

उक्त बैयनामा से पूर्व विकेता सरोज देवी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक वाद संख्या 125/2010 अनवान सरोज देवी बनाम रामनाथ आदि प्रस्तुत किया हुआ था। बाद खरीद उक्त प्रकरण में बैयनामा के आधार पर लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा जरिये एम.डी. कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर उक्त प्रकरण में कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 को प्रतिवादी संख्या 50 पर संयोजित कर दिनांक 29.4.2016 को डिक्री जारी करते हुए सरोज देवी पत्नी से दिनांक 03.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदाशुदा 0.97866 एवं 0.0083 कुल 0.98696 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 50 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 को घोषित कर दिया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 50 द्वारा पुनः संशोधित डिक्री जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ ने दिनांक 08.06.2017 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए कमलदीप सिंह द्वारा बतौर एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के नाम से क्रय की गई 0.97866 एवं 0.0083 कुल 0.98696 है0 भूमि तथा कमलदीप द्वारा व्यक्तिगत क्रय की गई 0.126 है0 को मिलाकर (0.98696 + 0.126) कुल 1.112 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 50 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 को खातेदार घोषित कर दिया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा उक्त 1.112 है0 भूमि का जैर अपील इंतकाल संख्या 762 दिनांक 30.6.2017 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ के नाम के नाम से दर्ज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ का इंतकाल संख्या 762 दिनांक 30.6.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पारित डिक्री का भलीभांति अवलोकन कर डिक्री अनुसार पुनः प्रतिवादी संख्या 50 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 के नाम से नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायायल तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.23 12:23:26 IST
Reason: SelfAttested